भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †1331
दिनांक 11.02.2025को उत्तरार्थ

पंचायती राज रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति

†1331. श्री सुखदेव भगतः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पंचायती राज रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसपीआर) के अनुसार देश में पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता और कार्यान्वयन दक्षता के संदर्भ में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) उदाहरण के लिए 50 प्रतिशत से अधिक पंचायतों ने अवसंरचना विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपर्याप्त निधियों और 40 प्रतिशत से अधिक पंचायतों में अपने उत्तरदायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कार्मिकों के अभाव की सूचना दी है;

(ग) इन आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और पंचायतों में संसाधनों तथा क्षमता की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अगले 2-3 वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता और प्रचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित कदमों और प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) जी नहीं, पंचायती राज मंत्रालय के पास "पंचायती राज की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसपीआर)" नामक कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के कारण, एक राज्य विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 के अनुसार, राज्यों को पंचायतों की स्थापना करने और वित्तीय संसाधनों सहित पंचायतों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का अधिकार है। हालाँकि, केंद्र सरकार पंचायतों के वित्तीय संसाधनों के पूरक के लिए केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान भी प्रदान करती है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के तहत, 28 राज्यों में तीनों स्तरों की पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों, छठी अनुसूची क्षेत्रों को 60,750 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21 की अंतरिम अवधि के लिए) और 2,36,805 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए) का अनुदान आवंटित किया गया है। XV FC अनुदान के दो घटक हैं - टाइड और अनटाइड। टाइड अनुदान का उपयोग पेयजल, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति के रखरखाव के लिए किया जाना है। अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए किया जाना है।

इसके अलावा, परिचालन एवं रखरखाव के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता तथा आउटसोर्सिंग आधार पर जनशक्ति और अन्य प्रशासनिक व्ययों सहित पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान के आबंटन का 10% तक की अनुमति दी गई है।

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का राज्यवार आवंटन और रिलीज अनुबंध में दिया गया है।

इसके अलावा, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत, मंत्रालय पंचायत भवन और कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराकर ग्राम पंचायतों के कामकाज में सहयोग देने की दिशा में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) (i) केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू कर रहा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को मजबूत करना, ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरीकरण जैसे बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करना, (ii) पंचायतों को प्रोत्साहित करना (IoP), RGSA योजना का एक केंद्रीय घटक, PRI के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए जिसके तहत, सेवाओं और सार्वजनिक भलाई के वितरण में सुधार के लिए उनके अच्छे काम को मान्यता देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को अवार्ड दिए जाते हैं, (iii) ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ईपंचायत), RGSA योजना का एक केंद्रीय घटक है। जिसके अंतर्गत पीआरआई के कामकाज में कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और इसके समग्र परिवर्तन के लिए विभिन्न ई-शासन परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण के लिए वित्तपोषित किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में गांवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) की केंद्रीय क्षेत्र योजना भी कार्यान्वित की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक ग्रामीण परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया जा सके।

***

अनुबंध

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का राज्यवार आवंटन और जारी धनराशि (07.02.2025 तक)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	2109.97
2	अरुणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	170.00	177.00		179.00		189.00	
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3855.33	4114.00	1942.17
5	छत्तीसगढ़	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	1185.25
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00	33.92	58.00		62.00	
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00	
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	953.59	1036.00	487.13
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	318.04	352.00	229.19
10	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	1307.00	1385.00	
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	1120.73
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1334.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	2819.24	3265.00	
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4267.16	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	1619.42
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00		137.00		145.00	
16	मेघालय	182.00	182.00	135.00	67.50	140.00		141.00		149.00	
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	69.00	71.00	71.00	72.00		76.00	
18	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00		97.00		102.00	
19	ओडिशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	1851.00
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	1058.35	1138.00	
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	2847.96	3166.00	1881.84
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	16.69
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.0	2666.00	2666.0	2761.00	2761.0	2791.00	2791.00	2957.00	1478.50

			0		0		0				
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1424.18	1514.00	
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	148.00	157.00	78.50
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	7994.00
27	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	444.13	471.00	234.91
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3415.00	3617.00	1805.16
	कुल	**60750.00**	**60750.00**	**44901.00**	**44699.22**	**46513.00**	**44771.77**	**47018.00**	**44520.96**	**49800.00**	**25368.46**

***